संख्या- 5 /2016/170/35-1-2016-6/8(22)/2008

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मूल्यांकन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 ***लखनऊ: दिनांक: 02 मार्च, 2016***

विषय: राज्य के विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं में जन समुदाय/हित धारकों को सम्मिलित करते हुए मूल्यांकन तथा सत्यापन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

महोदय,

नियोजन विभाग के अधीन मूल्यांकन प्रभाग की स्थापना एक स्वतन्त्र निदेशालय के रूप में वर्ष 1965 में प्रदेश के विकास कार्यक्रमों की वास्तविक स्थिति के आंकलन एवं विकास योजनाओं की संरचना के लिए आधारभूत सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से की गयी। वर्ष 1972 से राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 की स्थापना के फलस्वरूप यह एक स्वतन्त्र प्रभाग के रूप में स्थापित है। प्रदेश के आर्थिक-सामाजिक विकास में संलग्न विभागों के कार्यक्रमों तथा योजनाओं के निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप क्रियान्वयन की स्थिति ज्ञात करने एवं उन्हें अधिक उपयोगी/गुणवत्तापरक बनाने में मूल्यांकन प्रभाग की अहम भूमिका है। योजनाएं अपने उद्देश्यों में किस हद तक सफल रही है, योजनाओं का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं एवं योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है, आदि को ज्ञात करने के उद्देश्य से मूल्यांकन अध्ययन किये जाते हैं। मूल्यांकन प्रभाग, राज्य सरकार के कार्यक्रमों तथा योजनाओं के मूल्यांकन एवं सत्यापन हेतु एक मात्र शासकीय संस्था है। प्रभाग के पास सीमित भौतिक तथा मानव संसाधन होने के कारण विशेषज्ञ संस्थाओं/परामर्श दाताओं के माध्यम से राज्य सरकार के कार्यक्रमों तथा योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन कराये जाने की व्यवस्था का प्राविधान किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2. मार्गदर्शी सिद्धात की पृष्ठभूमि

2.1 उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के समग्र सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश की समृद्धि के लिए राज्य सरकार प्रति वर्ष अपने आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा अंश विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित करती है। राज्य सरकार ने सुनियोजित रूप से सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 के विकास हेतु शासनादेश दिनांक 28.01.2015 द्वारा शासन का एजेण्डा वर्ष 2015-16 निर्धारित किया है। उक्त एजेण्डा के सूत्र सं0-152

के अन्तर्गत ''जनसमुदाय/हित धारकों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के मूल्यांकन एवं सत्यापन हेतु स्वतंत्र एजेन्सियों का पैनल बनाया जाना'' की व्यवस्था की गयी है।

2.2 राज्य सरकार की यह प्राथमिकता है कि विकास के कार्यक्रमों तथा योजनाओं को इस प्रकार क्रियान्वित कराया जाये कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो तथा जनमानस में अपेक्षित प्रभाव (Impact) हो। तत्क्रम में यह आवश्यक है कि विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन एवं सत्यापन उनके कार्यान्वयन के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कराया जाये। वर्तमान समय में राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधीन मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ यह दायित्व निभा रहा है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न प्रशासनिक विभाग भी उनके द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों तथा योजनाओं का मूल्यांकन शासकीय/स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराते रहते हैं।

3. अध्ययन के मार्गदर्शी सिद्धान्त का विजन (vision)/परिदृश्य

प्रदेश के विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं का पूरा लाभ लक्षित समूह को प्राप्त कराने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार एवं भारत सरकार के माध्यम से संचालित होने वाली विभिन्न विकास योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन एवं सत्यापन हेतु स्वतंत्र संस्थाओं का पैनल तैयार करने तथा उनके माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु एक समेकित नीति निर्धारित की जाये जिसके माध्यम से मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान के साथ-साथ प्रतिष्ठित शासकीय व गैर शासकीय संस्थाओं की विशेषज्ञता का भी उपयोग किया जा सके।

4. क्षेत्र (scope)

4.1 राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के मूल्यांकन एवं सत्यापन हेतु स्वतंत्र संस्थाओं का पैनल तैयार किये जाने हेतु एक समेकित नीति निर्धारित किया जाना।

4.2 विशेषज्ञ संस्थाओं का उपयोग कर जनसमुदाय/हित धारकों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता सुनिश्चित किया जाना।

4.3 विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन अध्ययन एवं सत्यापन में संलग्न जनसमुदाय/ हित धारकों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4.4 यह देखना कि क्या कार्यक्रमों तथा योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है तथा उनमें किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है।

5. मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन एवं कार्यक्षेत्र

प्रदेश सरकार की योजनाओं/कल्याणकारी कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन संबंधी कार्यों के संचालन व समीक्षा के लिए शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन एवं कार्यक्षेत्र का विवरण **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

6. राज्य स्तरीय समिति का गठन एवं कार्यक्षेत्र

मूल्यांकन अध्ययन हेतु विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं के चयन, मूल्यांकन अध्ययन के सतत संचालन और अनुश्रवण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति के गठन एवं कार्यक्षेत्र का विवरण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

7. मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

7.1 चयनित विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ होने पर, कार्य की मध्यावधि तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन कराया जा सकता है।

7.2 संबंधित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के मूल्यांकन हेतु बजट व्यवस्था निम्नलिखित दो स्रोतों से की जायगी:-

7.2.1 नियोजन विभाग के अधीन (07-राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान) में उपलब्ध बजट व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार बजट प्राविधान कराया जायेगा।

7.2.2 प्रशासनिक विभागों में चयनित कार्यक्रमों/योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन कराने हेतु प्राविधानानुसार बजट व्यवस्था की जायेगी।

7.2.3 कार्यक्रम तथा योजनाओं की सूची अनुमोदन होने के उपरान्त चयनित संस्था को कार्य आदेश जिस विभाग द्वारा बजट उपलब्ध कराया जायेगा, उसके द्वारा कार्य आदेश दिया जायेगा।

8. मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवा देने वाली संस्थाओं का इम्पैनेलमेंट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8.1 प्रदेश में विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं/कन्सलटेन्ट के चयन के लिए नियोजन विभाग द्वारा उपयुक्त संस्थाओं का पैनल Combined Quality Com Cost Based System (CQCBS) के आधार पर तैयार किया जायेगा।

8.2 यह पैनल तीन वर्ष के लिए वैध होगा। पैनल का चयन टेण्डर प्रोसेज के आधार पर ही किया जायेगा।

8.3 पैनल तैयार करने के उद्देश्य से नियोजन विभाग द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी के 3-3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर इच्छुक तथा आवश्यक तकनीकी अर्हतायें पूरी करने वाली संस्थाओं से मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु तकनीकी विड्स आमंत्रित की जाएंगी। विज्ञापन नियोजन विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

8.4 **विशेषज्ञ संस्थाओं की तकनीकी अर्हतायें:**

(i) कम से कम 05 वर्षों से कम्पनी एक्ट/सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट/ लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

(ii) पिछले तीन वर्ष की अवधि में वार्षिक टर्न ओवर किसी भी वर्ष में रू0 5 करोड़ से कम न हो। संस्था द्वारा विगत 5 वर्षों का आडिटेड स्टेटमेन्ट आफ एकाउन्ट।

(iii) संस्था के पास मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु पर्याप्त संख्या में विषय क्षेत्र से संम्बन्धित विशेषज्ञ/तकनीकी स्टाफ/अवस्थापनाएं उपलब्ध हों।

(iv) केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन का अनुभव हो।

(v) आवेदक संस्था केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड न हो तथा उसके विरूद्ध भारत में कहीं भी अपराधिक वाद पंजीकृत न हो/किसी न्यायालय में वाद लम्बित न हो/वह दण्डित न हो। संस्था द्वारा इस आशय का एक शपथ-पत्र देना होगा। गलत शपथ-पत्र देने वाली संस्था को बिना नोटिस दिये पैनेल से हटा दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8.5 संस्था द्वारा अभिलेखीय आधार पर तकनीकी अर्हता पूर्ण करना ही इम्पैनेलमेन्ट के लिए पर्याप्त नहीं होगा। न्यूनतम तकनीकी अर्हता पूरी करने वाली आवेदक संस्थाओं को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

9. चयनित योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु संस्था का चयन

9.1 राज्य स्तरीय समिति द्वारा विभागों के प्रस्ताव लेकर या स्वमेव मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ कार्यक्रमों तथा योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

9.2 उच्च स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु कार्यक्रमों तथा योजनाओं का चयन निम्नलिखित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

9.2.1 मा0 मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता के कार्यक्रमों तथा योजनाओं,

9.2.2 ऐसे कार्यक्रमों तथा योजनाओं जिनका आच्छादन अधिक से अधिक जनपदों में हो,

9.2.3 ऐसे कार्यक्रमों तथा योजनाओं जिनकी बजट व्यवस्था अधिक से अधिक हो,

9.2.4 ऐसे कार्यक्रमों तथा योजनाओं स्वमेव राज्य स्तरीय तथा उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्वमेव निर्णयानुसार,

9.2.5 वित्त विभाग एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रस्तावानुसार,

9.3 तत्पश्चात् अध्ययन हेतु आगे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकाशित पैनल में से उपयुक्त संस्था का चयन किया जायेगा।

9.4 नियोजन विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग के साथ विचार-विमर्श करते हुए तथा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की सहमति से मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु R.F.P तथा T.O.R. को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

9.5 संबंधित प्रशासनिक विभाग उनके विभाग की चयनित कार्यक्रमों तथा योजनाओं के अध्ययन हेतु योजना के उद्देश्यों तथा मूल्यांकन के संकेतक (इण्डीकेटर्स) निर्धारित करेगा।

9.6 R.F.P तथा T.O.R. के आधार पर पारदर्शी प्रकिया अपनाते हुए सूचीबद्व चयनित संस्थाओं को उपयुक्त समय देते हुए तकनीकी/वित्तीय बिड आमंत्रित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9.7 संस्था के चयन की प्रक्रिया परिशिष्ट-3 में दी गई है।

9.8 इस प्रकार सूचीबद्ध विशेषज्ञ संस्थाओं की सूची पूर्ण विवरण (नाम/पता/ दूरभाष/e-mail) सहित नियोजन विभाग की वेबसाइट पर वैधता अवधि के साथ प्रकाशित की जायेगी।

10. विशेषज्ञ संस्थाओं के भुगतान की प्रक्रिया:

विशेषज्ञ संस्थाओं को 20 प्रतिशत प्रथम किश्त का भुगतान अध्ययन आवंटन के समय बैंक गारण्टी के विरूद्ध ही किया जायेगा और इसका उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेंट में भी किया जायेगा। तत्पश्चात् 40 प्रतिशत द्वितीय किश्त प्रथम ड्राफ्ट के प्रस्तुतीकरण के समय, 40 प्रतिशत तृतीय किश्त अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। मूल्यांकन कार्य के सम्पादन में विलम्ब होने की दिशा में 1 से 2 माह तक 02 प्रतिशत, 2 से 3 माह तक 05 प्रतिशत तथा 3 माह से अधिक 10 प्रतिशत दण्ड का प्राविधान होगा, यदि और भी विलम्ब होता है तो 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से देय रहेगा। दण्ड प्राविधान कुल स्वीकृत धनराशि पर देय होगा।

11. कन्सलटेन्ट संस्था से अनुबन्ध की महत्वपूर्ण विशिष्टियां

संबंधित प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष तथा चयनित संस्था के मध्य एक अनुबन्ध-पत्र (M.O.U) हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसका विवरण परिशिष्ट-पांच में दिया गया है।

12. मार्गदर्शी सिद्धान्त के लागू होने से निम्निलिखित लाभ होंगे:-

12.1 योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता आयेगी।

12.2 सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों में जन समुदाय/हित धारकों का विश्वास और मजबूत होगा।

12.3 योजनाओं के कार्यान्वयन में कास्ट/टाइम का ओवर रन नियंत्रित होगा।

12.4 योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में और अधिक गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी।

12.5 योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान मूल्यांकन/गुणवत्ता की जांच के परिणामों के आधार पर योजना के कार्यान्वयन की अवधि में भी आवश्यकतानुसार कमियों का निराकरण हो सकेगा तथा अनुभूत संशोधन भी किए जा सकेंगे।

12.6 भावी योजनाओं/कार्यक्रमों के निर्धारण में सहायता मिलेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12.7 वर्तमान में मूल्यांकन तथा गुणवत्ता जांच से आच्छादित योजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक योजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन सम्भव हो सकेगा।

12.8 कार्यदायी संस्थाओं/एजेंसियों में जवाबदेही (sense of accountability) की प्रवृत्ति मजबूत होगी।

13. कृपया कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/293/31-2015-76/2014, दिनांक 28.01.2015 के द्वारा उ0प्र0 के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित शासन का विकास एजेण्डा सूत्र संख्या-152 के अन्तर्गत ''जनसमुदाय/हित धारकों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के मूल्यांकन एवं सत्यापन हेतु स्वतंत्र एजेन्सियों का पैनल बनाया जाना'' के संबंध में उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- परिशिष्ट- 1 से 11

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 5 /2016/170/35-1-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।
10- गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(जे0बी0 सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-एक

मूल्यांकन अध्ययन/गुणवत्ता की जांच हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन एवं कार्यक्षेत्र

1. प्रदेश सरकार की विकास सम्बन्धी योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययन/ सत्यापन संबंधी कार्यों के संचालन व समीक्षा के लिए शासन स्तर पर निम्नानुसार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	-	अध्यक्ष
कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0शासन	-	सदस्य
निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग, रा0नि0सं0,उ0प्र0, लखनऊ	-	सदस्य/सचिव

2. उच्च स्तरीय समिति का प्रस्तावित कार्यक्षेत्र

2.1 राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयनित कार्यक्रमों/योजनाओं का अनुमोदन।

2.2 विशेषज्ञ संस्थाओं के चयन के प्रस्ताव का अनुमोदन।

2.3 अध्ययन की संस्तुतियों पर नीति विषयक निर्णय।

2.4 अध्ययन के निष्कर्षों एवं संस्तुतियों पर विभागों से प्राप्त ंबजपवद जंामद तमचवतज की समीक्षा।

2.5 राज्य स्तरीय समिति के कार्यों का अनुश्रवण।

2.6 यह निर्धारित करना कि कौन-कौन से मूल्यांकन अध्ययन सत्यापन हेतु मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र, लखनऊ, अथवा इम्पैनेल्ड संस्थाओं से कराये जायेंगे।

2.7 राज्य स्तरीय समिति के कार्यों का अनुश्रवण।

3. उच्च स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन के चयन हेतु निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा:-

3.1 राज्य सरकार द्वारा संचालित केन्द्र पोषित/राज्य पोषित ऐसी योजनाओं को वरीयता दी जायेगी, जो कि राज्य सरकार की विशिष्ट प्राथमिकता के हों अथवा उन पर अपेक्षाकृत अधिक बजट प्राविधान हो।

3.2 विभागों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर भी विचार किया जायेगा।

3.3 समिति द्वारा स्वयं प्रेरणा से व नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर भी चिन्हीकरण किया जा सकेगा।

3.4 मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु योजनाओं का चयन उपलब्ध वार्षिक बजट को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। बजट के अधीन प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जायेगा और उसी क्रम में मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-दो

राज्य स्तरीय समिति गठन एवं कार्यक्षेत्र

1. मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु विकास योजनाओं के चयन, मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन के सतत संचालन और अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन एवं कार्यक्षेत्र में दिया गया है:-

प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन	-	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	-	सदस्य
सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष/विशेषज्ञ	-	सदस्य
निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग, रा0नि0सं0	-	सदस्य-सचिव
राज्य योजना आयोग के सेक्टोरल अधिकारी	-	सदस्य

2. राज्य स्तरीय समिति का कार्यक्षेत्र

2.1 वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में व प्रत्येक त्रैमास में उच्च स्तरीय समिति के समक्ष बैठक आयोजित करना।

2.2 योजनाओं के चयन हेतु उच्च स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

2.3 मूल्यांकन हेतु अध्ययन पद्धति, उद्देश्य व समय-सारिणी निर्धारित करना।

2.4 विशेषज्ञ संस्थाओं के चयन हेतु प्रस्ताव तैयार करना तथा उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करना।

2.5 चयनित संस्थाओं के कार्यों का अनुश्रवण।

2.6 संस्थाओं द्वारा दी गयी मूल्यांकन रिपार्ट को उच्च स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।

2.7 मूल्यांकन के निष्कर्षों को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

2.8 उच्च स्तरीय समिति के निर्देशों का कार्यान्वयन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-तीन

संस्था के चयन की प्रक्रिया

1 बिडस प्राप्त करना

बिडस् को दो सील बन्द लिफाफे में जमा करना होगा (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के सम्बन्ध में प्रत्येक लिफाफे के ऊपर साफ अक्षरों में अंकित किया जायेगा) और दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द किये जायेंगे। अगर कोई निविदादाता एक से अधिक निविदाएं डालता है या बड़े लिफाफे में दो से अधिक लिफाफे रखता है तो उसकी बिड बिना कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी। तकनीकी एवं वित्तीय बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित होना चाहिए तथा अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

(अ) तकनीकी बिड

1. प्रमुख अधिकारियों का नाम एवं सी0वी0
2. संस्था का संगठनात्मक ढांचा
3. विगत पांच वर्षों के आय व्यय की आडिट रिर्पोट एवं शुद्ध लाभ-हानि
4. विगत पांच वर्षों में पूर्ण किये गये मूल्यांकन अध्ययनों का विवरण तथा रिपोर्टस की छायाप्रतियां
5. समस्त सलाहकारों/विशेषज्ञों का विवरण/बायोडाटा
6. संस्था से सम्बन्धित अन्य सूचना, जो महत्वपूर्ण हो

उपर्युक्त सूचनाओं के अतिरिक्त संस्था का विस्तृत विवरण, अनुसंधान दल का संगठन, संसाधन, संख्यात्मक एवं गुणात्मक योग्यता, संगठन/संस्था का समान प्रकृति के कार्य का अनुभव एवं तीन क्लाएन्ट्स का नाम एवं पूर्ण पता, जिनसे निविदादाता के अनुभव तथा दक्षता की पुष्टि की जा सके, का विवरण भी दिया जायेगा।

टेक्निकल बिड **परिशिष्ट-चार** के वितठ के अनुसार दी जाएगी।

(ब) वित्तीय बिड

वित्तीय बिड में सम्पूर्ण व्यय का विवरण (I) योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन अवधि तथा (II) योजना/कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात्, अलग-अलग दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चयन प्रक्रिया:

- बिड डालने के लिए निर्धारित समय समाप्त होने के तत्काल बाद नियोजन विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा समस्त लिफाफे बिडर्स के समक्ष खोले जायेंगे।
- तकनीकी बिड पहले खोली जायेगी तथा स्क्रीनिंग समिति द्वारा पृष्ठ क्रमांक डालकर हस्ताक्षर किये जायेगे।
- तकनीकी बिड का मूल्यांकन नियोजन विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जायेगा।
- तकनीकी रूप से चयनित संस्था के वित्तीय बिड उनकी उपस्थिति में उन्हें वेबसाइट/ई-मेल/फैक्स/ दूरभाष आदि के माध्यम से सँसूचित तिथि तथा समय पर खोली जाएगी।
- बिड्स का मूल्यांकन Combined Quality Com Cost Based System (CQCBS) प्रणाली के आधार पर किया जायेगा।
- तकनीकी बिड हेतु 70 प्रतिशत तथा वित्तीय बिड हेतु 30 प्रतिशत वेटेज दिया जायेगा।
- न्यूनतम बिड वाले प्रस्ताव को 100 अंक दिये जायेंगे। अन्य प्रस्तावों को अंक तत्क्रम में दिये जायेंगे।
- वित्तीय एवं तकनीकी बिड का कुल अंक, गुणवत्ता एवं लागत को आधार मानकर तथा उनको जोड़कर प्राप्त किया जायेगा।

अधिकतम अंक का निर्धारण निम्न प्रकार होगा:-

अधिकतम अंक आधार:- लागत एवं गुणवत्ता के कुल वेटेड अंक के आधार पर संस्था को रैंक प्रदान की जायेगी। गुणवत्ता एवं लागत के मूल्यांकन के आधार पर चयनित अधिकतम् प्राप्तांक प्रस्ताव को H_1 रैंक दी जायेगी, उससे कम को H_2, H_3 आदि। तदानुसार H_1 रैंक की संस्था/परामर्शदाता को, आवश्यकता होने पर negotiation के लिए बुलाया जायेगा और कार्य करने के लिए चयनित किया जायेगा।

उदाहरण के अनुसार फर्मों के चयन हेतु तकनीकी बिड के आधार पर कम से कम 75 अंक पाने वाली तीन श्रेष्ठतम् संस्थाओं का चयन किया जायेगा तथा तकनीकी मूल्यांकन हेतु 70 प्रतिशत तथा वित्तीय बिड हेतु 30 प्रतिशत अंक निर्धारित किये जायेंगे। तकनीकी मूल्यांकन में अगर तीनों श्रेष्ठतम् संस्थाओं के 75, 80 तथा 90 अंक हैं, तो न्यून्तम 75 अंक के अनुसार तीनों फर्में योग्य होंगी। इन तीनों फर्मों के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने होंगे, जिसके लिये तिथि एवं समय की सूचना उक्त तीनों फर्मों को पूर्व से दी जायेगी और स्क्रीनिंग कमेटी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा उनकी वित्तीय बिड संसूचित तिथि तथा समय पर खोली जायेगी। इस प्रकार स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मूल्यांकन की लागत निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी।

प्रस्ताव	मूल्यांकन लागत (रू0 में)
A	120
B	100
C	110

फिर LEC / EC के फार्मूला का प्रयोग करते हुए समिति द्वारा निम्नानुसार अंक निर्धारित किए जाएंगे :-

A :100/120X100=83 Point

B :100/100X100=100 Point

C :100/110X100=91 Point

उपरोक्त के आधार पर तीनों प्रस्तावों पर कमेटी द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बिड के संयुक्त अंक निम्नानुसार निर्धारित किये जाएंगे:-

Proposal A : 75/0.70+83x0.30=77.4 Point

Proposal B : 80/0.70+100x0.30=86 Point

Proposal C : 90/0.70+91x0.30=90.3 Point

Proposal A : 77.4 Point : H_3

Proposal B : 86 Point : H_2

Proposal C : 90.3 Point : H_1

उपरोक्त के आधार पर फर्म-C जिसकी तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन में अधिकतम् अंक प्राप्त हुए है। सफल निविदादाता मूल्यांकित होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-चार

चयन समिति द्वारा संस्थाओं से प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन प्रस्तुतीकरण के पश्चात् निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार किया जायेगा:-

(पूर्णांक: 100)

1.	**संस्था का मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुभव**		**20**
1.1	5 वर्ष तक	4	
1.2	5 वर्ष से अधिक व 10 वर्ष से कम	6	
1.3	10 वर्ष से अधिक	10	
2.	**संस्था का टर्न ओवर (पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत)**		**10**
2.1	रू0 5 करोड़ से 10 करोड़ तक	4	
2.2	रू0 10 करोड़ से अधिक	6	
3.	**मूल्यांकन टीम लीडर**		**15**
3.1	शैक्षिक योग्यता	7	
3.2	मूल्यांकन अनुभव	8	
4.	**संस्था के पास उपलब्ध कर्मियों की शैक्षिक योग्यता एवं विशेषज्ञता**		**20**
4.1	पी0एच0डी0/एम0टेक0	12	
4.2	एम0सी0ए0/सी0ए0	8	
5.	**संस्था का केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के मूल्यांकन का अनुभव**		**20**
5.1	केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के मूल्यांकन का अनुभव	4	
5.2	राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के मूल्यांकन का अनुभव	6	
5.3	केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के मूल्यांकन का अनुभव	10	
5.	**लैब, अवस्थापना सुविधाएं।**	**15**	**15**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-पांच

कन्सलटेन्ट संस्था से अनुबन्ध की महत्वपूर्ण विशिष्टियां

संबंधित प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष तथा चयनित संस्था के मध्य निम्नलिखित शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक अनुबन्ध-पत्र (M.O.U) हस्ताक्षरित किया जायेगा:-

(i) अनुबन्ध-पत्र में अध्ययन हेतु निर्धारित समय-सारिणी का स्पष्ट उल्लेख होगा तथा संस्था को मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन कार्य इसी समय-सारिणी के अनुसार पूर्ण करना होगा, अन्यथा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

(ii) कन्सलटेन्ट संस्था अनुबन्ध अवधि के मध्य कार्य नहीं छोड़ेगी और ऐसा करने पर उसे पैनल से पृथक किया जा सकेगा तथा भुगतान की गयी सम्पूर्ण धनराशि वसूल की जा सकेगी।

(iii) संस्था का कार्य संतोषजनक न होने पर संबंधित विभाग द्वारा सर्वप्रथम एक माह का नोटिस देते हुए अध्ययनों की गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाने के निर्देश दिये जायेंगे। नोटिस अवधि में कार्य में सुधार न होने पर प्रशासकीय विभाग की संस्तुति पर नियोजन विभाग द्वारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

(iv) संस्था द्वारा राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदित अध्ययन के आरएफपी एवं टीओआर में प्राविधानित प्रतिबद्धताओं के अनुसार ही मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(v) संस्था को राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग या किसी अन्य स्रोत से प्रश्नगत अध्ययन हेतु कोई धनराशि नहीं प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार की स्थिति आने पर संस्था से सम्पूर्ण भुगतान की गयी धनराशि वापस ले ली जायेगी तथा संस्था को पैनल से बाहर कर दिया जायेगा।

(vi) संस्था द्वारा संकलित आॅकड़ों से तैयार की गयी रिपोर्ट आदि पर राज्य सरकार/नियोजन विभाग का स्वामित्व होगा। नियोजन विभाग की अनुमति के बिना संस्था द्वारा इन आॅंकड़ों तथा निष्कर्षों का उपयोग किसी अन्य अध्ययन/संदर्भ में नहीं किया जायेगा।

(vii) संस्था द्वारा आरएफपी तथा टीओआर द्वारा निर्धारित/कम से कम तीन अवसरों पर, कार्य प्रारम्भ होने पर, कार्य के मध्य तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियोजन विभाग में अध्ययन रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। प्रस्तुतिकरण में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष भी प्रतिभाग करेंगे।

(viii) किये गये कार्यों का भुगतान आरएफपी तथा टीओआर की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(ix) अध्ययन हेतु बिड प्राप्त करने से पूर्व नियोजन विभाग व प्रशासनिक विभाग संयुक्त रूप से प्री बिड कान्फ्रेन्स आयोजित कर सकते हैं जिसमें सभी सूचीबद्ध (empanelled) संस्थाओं को आमंत्रित किया जायेगा।

(x) नियोजन विभाग के अन्तर्गत मूल्यांकन प्रभाग द्वारा स्वमेव तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रस्तावित मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन का कार्य पूर्व की भाॅंति किया जाता रहेगा।

(xi) किसी विशिष्ट प्रकार के वृहद मूल्यांकन अध्ययन/सत्यापन हेतु उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन से खुली निविदा के आधार पर भी संस्था का चयन किया जा सकता है। ऐसा करने पर पैनल की संस्थाएं/अन्य संस्थाएं टेन्डर प्रक्रिया में अर्हता के आधार पर भाग ले सकती हैं। इस प्रकार से चयन के लिए शेष प्रक्रियाएं यथावत रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-छः

संगठनात्मक ढ़ाँचा

1.	संस्था का नाम, पता, फोन नं0/फैक्स नं0/ईमेल तथा वेबसाइट इत्यादि	
2.	(अ) स्थापना का वर्ष (ब) कार्य प्रारम्भ करने का वर्ष एवं तिथि	
3.	निदेशक एवं अन्य अधिकारियों के नाम तथा पदनाम	
4.	संस्था द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के नाम	
5.	प्रोफेशनल कार्मिकों की कुल संख्या:	
I	स्नातकोत्तर तकनीकी कार्मिकों की कुल सं0	
II	स्नातक डिग्रीधाराकों की कुल संख्या	
➢	वास्तुकार	
➢	अर्थशास्त्री	
➢	अभियन्ता	
➢	सांख्यिकीय सर्वेक्षणकर्ता	
➢	एम0बी0ए0	
➢	अधिवक्ता	
➢	डाक्टर	
➢	अन्य	
6.	क्या संस्था के किसी मूल्यांकन कार्य को 6 माह से अधिक के लिए निलम्बित किया गया था? अगर हां, तो परियोजना का नाम एवं निलम्बन का कारण स्पष्ट करें।	
7.	क्या संस्था या उसके अभिन्न सहयोगी द्वारा दिये गये योजना/कार्यक्रम को कार्य पूर्ण होने से पहले छोड़ा गया? अगर हां, तो योजना/कार्यक्रम का नाम एवं छोड़े जाने का कारण स्पष्ट करें।	
8.	क्या संस्था या उसके अभिन्न सहयोगी को (किसी संगठन में प्रतिस्पर्धा के दौरान) कभी ब्लैक लिस्टेड/डिबार किया गया है? अगर हां, तो विवरण दीजिए।	
9.	क्या संस्था या उसके अभिन्न सहयोगी को किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है? अगर हां, तो विवरण दीजिए।	
10.	अन्य कोई सूचना, जो उपरोक्त कार्य हेतु उचित प्रतीत होती है, परन्तु ऊपर नहीं दी गयी है।	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-सात

1. टीम लीडर/विशेषज्ञ/सलाहकार हेतु निर्धारित रूप-पत्र

1.	**नाम**	
2.	जन्म तिथि	
3.	पद	
4.	वेतनमान एवं ग्रेड पे	
5.	मूल्यांकन कार्य का अनुभव	

दिनांक:

स्थान:

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट- आठ

2. वित्तीय स्थिति

फार्म-डी

वित्तीय वर्ष	वित्तीय टर्नओवर	शुद्ध लाभ
2012-13		
2013-14		
2014-15		
तीन वर्षों का औसत वार्षिक (कन्सल्टेन्सी क्षेत्र में)		

दिनांक:

स्थान:

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>परिशिष्ट-नौ</u>

3. वित्तीय बिड हेतु प्रपत्र

फार्म-इ

पार्ट	विवरण	कास्ट (रू0 में)
A	पर्यवेक्षणीय कार्यों के अतिरिक्त समस्त कार्य (सेवाकर को छोड़कर)	
B	कार्यक्रम/योजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्व	
C	कार्यक्रम/योजना के कार्यान्वयन के दौरान	
D	पूर्ण होने पर	
E	कुल पर्यवेक्षणीय तथा परामर्शीय कार्य (सेवाकर को छोड़कर) समस्त कार्यों का योग:	

दिनांक:

स्थान:

प्रधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

मुहर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-दस

क्वालीफाइंग पैरामीर्स

क्रम सं0	आवश्यक आर0एफ0पी पार्टीकुलर	पृष्ठ नं0	प्राप्त विवरण
1.	रू0 50,000/- का म्डक् राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारण्टी के रूप में तथा रू0 5000/- की टेंडर फीस किसी अनुसूचित बैक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में।		
2.	टेण्डर पूर्ण होने के उपरान्त पैनल अनुमोदित होने पर सफल निविदाताओं द्वारा जमा की गयी ई0एम0डी0 (मं्तदमेज उवदमल कमचवेपज) की धनराशि ही चमतवितउंदबम के रूप में रखी जायेगी और असफल निविदाताओं की ई0एम0डी0 वापस की जायेगी। इस प्राविधान का उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेन्ट में भी किया जायेगा।		
3.	प्रपोज़ल जमा करने की अन्तिम तिथि से 365 दिन तक प्रपोजल की वैद्यता		
4.	अर्ह कार्यों की सूची		
5.	प्राधिकृत हसताक्षरकर्ता के लिए पावर आफ एटार्नी		
6.	वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में वित्तीय टर्न ओवर (कान्सेल्टेन्सी के मद में)		

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर

मुहर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-ग्यारह

विगत 5 वर्षो में पूर्ण किये गये मूल्यांकन कार्यो का मुख्य विवरण

1. कार्य का विवरण एवं स्थान -
2. योजना/कार्यक्रम कास्ट/फीस -
3. प्रारम्भ होने की तिथि - प्रस्तावित वास्तविक
4. पूर्ण होने की तिथि - प्रस्तावित वास्तविक
5. विलम्ब का कारण, अगर कोई
6. सेवा प्रदाता
7. कुल कार्मिकों की संख्या -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।